मानननीय रेवेन्यू बोर्ड (राजस्व मण्डल) ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

रिव्यु प्रकरण क. /16
प्रस्तुति दिनांक /10/2016

1 सवितादेवी पति तुलसीराम रघुंवशी

2 तुलसीराम रघुवंशी पिता दुर्गासिंह उर्फ दुर्गाशंकर रघुवंशी
निवासी 52 बीमा नगर इंदौर म.प्र. — **प्रार्थी/केता**

1 ओमप्रकाश पिता मांगीलाल
2 संतोष पिता मांगीलाल
3 मुकेश पिता मांगीलाल
4 श्रीमती कमलाबाई पति मांगीलाल
5 राजेश पिता स्व.श्री सदाशिव
6 दिनेश पिता स्व.श्री सदाशिव
7 अशोक पिता स्व.श्री सदाशिव
8 मांगीबाई पति स्व.श्री सदाशिव
9 रमेश पिता रामप्रसाद
10 राधेश्याम पिता रामप्रसाद
11 ईश्वरलाल पिता रामप्रसाद
सभी निवासी ग्राम खजरान तहसील व जिला इंदौर म.प्र.
तर्फे आम मुख्यत्यार तुलसीराम पिता दुर्गासिंह उर्फ दुर्गाशंकर रघुवंशी
निवासी 52 बीमा नगर इंदौर म.प्र. — **विकेतापक्ष**

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री अक्षय ओपड़े
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26/10/16
को प्रस्तुत।
777/26-10-2016
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्ध

म.प्र. शासन व्दारा उप पंजीयक महोदय
इंदौर –3, इन्दौर म.प्र. —**प्रत्यर्थी**

पुर्नाविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 56 (4) भारतीय मुद्राक अधिनियम सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से सविनय निवेदन है कि :—

प्रार्थी द्वारा वर्तमान पुर्नविलोकन याचिका श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (पीठासीन अधिकारी श्री मनोज गोयल साहब.) द्वारा अपील प्रकरण कमांक 885—पीबीआर/2015 मे पारित आदेश दिनांक 08—06—2016, जिसके द्वारा विद्ववान अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित आदेश की पुष्ठि की गई होकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से निरस्त की गई होने से व्यथित होकर वर्तमान पुर्नविलोकन याचिका निम्नानुसार सादर प्रस्तुत की जा रही है कि:—

Rev. 7241-PBR/16 इंदौर

16.5.2017	आवेदक की ओर से श्री अक्षय मोड़ अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कमी मुद्रांक शुल्क अदा कर दिया गया है, इसलिये यह पुनर्विलोकन निरर्थक हो गया है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विलोकन निरर्थक होने से निरस्त किया जाता है।

अध्यक्ष